



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052023-246047
CG-DL-E-24052023-246047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2182]

No. 2182]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2023/ज्येष्ठ 3, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2023/JYAISHTHA 3, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व-विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मई, 2023
(आयकर)

का.आ. 2276(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (10 कक) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय चाहे अधिवाषिता अथवा अन्यथा कारणों से है, उनके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि के रूप में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि पर ध्यान देते हुए ₹ 25,00,000/- (पच्चीस लाख रूपए मात्र) की राशि को उक्त खंड में उल्लिखित कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति, अधिवाषिता अथवा अन्यथा कारणों से है, के संबंध में सीमा के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 31/2023 फा. सं. 200/3/2023-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।